

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

पत्रांक: महा.सु.वि.वि. / सम्ब०/2024/1104

दिनांक: 14/08/2024



सेवा में,

प्रबन्धक,

मां शकुन्तला इन्स्टीट्यूट आर्फ एजुकेशन,
मतलूबपुर आजमगढ़,

विषय— महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1103(1) / सत्तर—6-2014-2(97) / 2014, दिनांक—01 अगस्त 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपर्युक्त को समाप्त कर दिया है, के क्रम में मां शकुन्तला इन्स्टीट्यूट आर्फ एजुकेशन मतलूबपुर आजमगढ़ को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान व गणित विषयों/पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 का परीक्षाफल एवं प्राचार्य अनुमोदन के अमाव में दिनांक 01.07.2024 से शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. शैक्षिक सत्र 2023-24 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने, महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित न होने एवं प्राचार्य अनुमोदित होने के अधीन तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों के पूर्ण होने पर सत्र 2024-25 के सम्बद्धता की सरात पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश का सम्बद्धता (स्थाई) पत्र उल्लिखित कमियों को पूर्ण करने पर दिनांक 01.07.2024 से निर्गत किया जायेगा।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या—2851 / सत्तर—2-2003-16(92) / 2002, दिनांक—02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
3. शासनादेश संख्या—5267 / 70-2-2005-2(166) / 2002 टी.सी., दिनांक—16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या—5125 / सत्तर—2-2005-2 (166) 2002, दिनांक—21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय / संस्था द्वारा उपरोक्त इगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ—पत्र के माध्यम से सुचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समरत कमियों को पूरा कर लिया गया है। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या—61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांक—20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या—522 / सत्तर—2-2013-2(650) / 2012 दिनांक—30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा मूल विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम 1973 के प्राविधिकों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्पृहः समाप्त समझी जायेगी।
8. शासन के पत्र संख्या—12 / 2015 / 450 / सत्तर—2015-16(33) / 2015 दिनांक—12 जून 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समरत सूचना अपलोड करेंगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्रामूल धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. शासन के पत्र संख्या—2499 / सत्तर—4-2022 दिनांक—02 नवम्बर 2022 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.S.H.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

कुलसचिव 14.08.24
२०२४

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी संघिय, कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. संघिय, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निर्देशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निर्देशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव